



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 कार्तिक 1941 (श10)
(सं0 पटना 1267) पटना, बुधवार, 20 नवम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 नवम्बर 2019

एस० ओ० 394 दिनांक 20 नवम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्या 879 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 177 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में और भी निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (i) के स्थान पर “(i) श्री रंगीशेट्टी मंगा बाबू, प्रधान आयुक्त सीजीएसटी एण्ड सीएक्स, पटना-1 (यथा नामित)” शब्दों और अंक को रखा जाएगा।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-20/2017-3462)]

आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

20 नवम्बर 2019

एस० ओ० 394 दिनांक 20 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-20/2017-3462)]

आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 20th November 2019

S.O. 394, Dated 20th November 2019—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 123 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the notification of the Commercial Taxes Department, S.O. No. 177, dated the 21st September, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 879, dated the 21st September, 2017 (as amended from time to time) is further amended, namely:-

In the said notification, for serial no. (i), the words and figure "(i) Shri Rangisetty Manga Babu, Principal Commissioner, CGST & CX, Patna-1 (as nominated)" shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-20/2017-3462)]

By order,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1267-571+10 -डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>